**मूल हिंदी में**

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
**राज्य सभा**
**तारांकित प्रश्न सं. *313**
31.03.2022 को उत्तर के लिए

**वन आच्छादित क्षेत्र में कमी**

***313. श्री नीरज डांगी :**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सहित देश में वन आच्छादित क्षेत्र में कमी आई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत वन क्षेत्र के विस्तार के लिए सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) देश में अभयारण्यों के संरक्षण को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

**उत्तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री**
**(श्री भूपेन्द्र यादव)**

(क) से (ग) : विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

******

**'वन आच्छादित क्षेत्र में कमी' के संबंध में श्री नीरज डांगी द्वारा दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *313 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण**

(क) मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन - भारतीय वन सर्वेक्षण (एफएसआई), देहरादून, वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर देश के वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन करता है और उसके निष्कर्षों को भारत वन स्थिति रिपोर्ट (आईएसएफआर) में प्रकाशित किया जाता है। वन आच्छादित क्षेत्र का आकलन गहन भू-सत्यापन और राष्ट्रीय वन सूची से प्राप्त क्षेत्र डेटा से समर्थित सुदूर संवेदन पर आधारित एक वाल-टू-वाल मानचित्रण की प्रक्रिया है। मंत्रालय द्वारा आईएसएफआर-2021 हाल ही में दिनांक 13 जनवरी, 2022 को प्रकाशित की गई है। आईएसएफआर-2021 के अनुसार, राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व में किए गए आकलन अर्थात् आईएसएफआर-2019 की तुलना में वन आच्छादित क्षेत्र में कुल 1540 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। गत दो वन आच्छादित क्षेत्र संबंधी आकलनों (आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021) के दौरान देश में वन आच्छादित क्षेत्र में 5,516 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021 तक वन आच्छादित क्षेत्र का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

आईएसएफआर-2021 के अनुसार, राजस्थान राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र 16,655 वर्ग किमी. है जो पूर्व में किए गए आकलन अर्थात् आईएसएफआर-2019 की तुलना में 25 वर्ग किमी. की वृद्धि दर्शाता है। गत दो वन आच्छादित क्षेत्र संबंधी आकलनों (आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021) के दौरान राजस्थान राज्य में वन आच्छादित क्षेत्र में 83 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है। आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021 तक राजस्थान राज्य के वन आच्छादित क्षेत्र का ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ख) देश में वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि के लिए केन्द्र और राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विभिन्न स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। इनमें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम (एनएपी) और हरित भारत मि□शन (जीआईएम) शामि□ल हैं। राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिसका उद्देश्य देश में अवक्रमि□त वनों और उनके समीपवर्ती क्षेत्रों की पुनर्बहाली करना है। अब एनएपी स्कीम का हरित भारत मि□शन के साथ विलय कर दिया गया है। राष्ट्रीय हरित भारत मि□शन (जीआईएम), राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य-योजना के तहत निर्धारित आठ मि□शनों में से एक है। इसका उद्देश्य वन और वनेतर क्षेत्रों में पौधरोपण कार्यकलापों के माध्यम से भारत के वन आच्छादित क्षेत्र का संरक्षण, उसकी पूर्व स्थिति में बहाली और उसमें वृद्धि करना तथा जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु कार्रवाई करना है।

वनीकरण कार्यकलाप, विभिन्न कार्यक्रमों/वित्त पोषण स्रोतों जैसे प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण (काम्पा) के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधियां, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी स्कीम (मनरेगा) के तहत वनीकरण कार्यकलाप, राष्ट्रीय कृषि-वानिकी नीति और कृषि-वानिकी संबंधी उप-मिशन (एसएमएएफ), राष्ट्रीय बांस मिशन और राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन के अंतर्गत भी किए जाते हैं। इसके अलावा, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के अपने वनीकरण और पुनर्वनीकरण कार्यक्रम हैं। लगभग प्रत्येक राज्य में सामाजिक वानिकी के तहत कार्यकलाप संचालित किए जाते हैं, जिनमें अधिकाशत: वनों से बाहर के क्षेत्रों में वृक्षारोपण पर ध्यान केंद्रित किया जाता है।

(ग) वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों सहित संरक्षित क्षेत्रों का प्रबंधन राज्य सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय, केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी सहयोग और वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुरक्षित क्षेत्रों में वन्यजीवों के लिए जल कुण्डों के निर्माण और रखरखाव, मृदा और नमी संरक्षण उपायों, अवैध शिकार को रोकने के लिए शिविरों की स्थापना, वन्यजीव पशु चिकित्सा देखभाल केंद्रों को मज़बूत करने, खरपतवार को हटाने तथा फायर लाइनों के निर्माण और रखरखाव जैसे कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

********

**अनुबंध-I**

**'वन आच्छादित क्षेत्र में कमी' के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *313 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021 के बीच भारत का वन आच्छादित क्षेत्र**

**(वर्ग किमी. में क्षेत्र)**

| **भारत वन स्थिति रिपोर्ट** | **भौगोलिक क्षेत्र (जीए)** | **कुल वन आच्छादित क्षेत्र** | **भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता** | **गत आकलन के संबंध में वन आच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन** |
|---|---|---|---|---|
| आईएसएफआर-2017 | 32,87,469 | 7,08,273 | 21.54 | 6,778 |
| आईएसएफआर-2019 | | 7,12,249 | 21.67 | 3,976 |
| आईएसएफआर-2021 | | 7,13,789 | 21.71 | 1,540 |

गत दो वन आच्छादित क्षेत्र संबंधी आकलनों (आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021) के दौरान देश में वन आच्छादित क्षेत्र में 5,516 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।

**अनुबंध-II**

**'वन आच्छादित क्षेत्र में कमी' के संबंध में दिनांक 31.03.2022 को उत्तर के लिए पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. *313 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध**

**आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021 के बीच राजस्थान राज्य का वन आच्छादित क्षेत्र**

**(वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र)**

| **भारत वन स्थिति रिपोर्ट** | **भौगोलिक क्षेत्र (जीए)** | **कुल वन आच्छादित क्षेत्र** | **भौगोलिक क्षेत्र की प्रतिशतता** | **गत आकलन के संबंध में वन आच्छादित क्षेत्र में परिवर्तन** |
|---|---|---|---|---|
| आईएसएफआर-2017 | 3,42,239 | 16,572 | 4.84 | 466 |
| आईएसएफआर-2019 | | 16,630 | 4.86 | 58 |
| आईएसएफआर-2021 | | 16,655 | 4.87 | 25 |

गत दो वन आच्छादित क्षेत्र संबंधी आकलनों (आईएसएफआर-2017 से आईएसएफआर-2021) के दौरान राजस्थान के वन आच्छादित क्षेत्र में 83 वर्ग किमी. की वृद्धि हुई है।